न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 230/2004,(जी.सी.एम.एस. न. 2004/00015) पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. छिद्दी सिंह पुत्र देवीराम जाति जाट नि0 ग्राम पूँछरी तहसील डीग
2. रमन सिह पुत्र देवीराम(मृतक)

2/1. रामवीर सिंह पुत्र रमन जाति जाट नि0 ग्राम पूँछरी तहसील डीग

2/2. चन्दरवती पुत्री स्व0 रमन पत्नी फूल सिंह जाति जाट नि0 धाना जीवना जिला मथुरा

3. हीरा सिंह पुत्र देवीराम
4. श्याम पुत्र देवीरम

} जतियान जाट नि0 ग्राम पूँछरी तहसील डीग

—वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय भरतपुर
2. तहसीलदार तहसील डीग

—प्रति0

दावा बाव उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांकः 06.09.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि साविक आ.ख.नम्बर 553 रकबा 6वीघा, 14 विस्वा ग्राम पूँछरी डीग तहसील डीग में स्थित है। नवीन खसरा नम्बर 451 रकबा 0.28 एवं 452 रकबा 0.35 वाके ग्राम पूँछरी भू—प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व बन्दोवस्ती रिकार्ड सम्बत 1982 में गिरधर वगै0 1/4 राजाराम वगै0 1/4 व वादीगण के परबाबा चिरंजी के निष्फ हिस्से के कब्जे काश्त व मिल्कियत की आराजी थी जिस पर वह अपने हिस्से के मुताविक काबिज रहकर स्वयं काश्त करते चले आ रहे थे। सन 1940 के आसपास उक्त व्यक्तियों ने आपस मं वहमी वंटवारा कर लिया और उक्त सालिम आराजी विरजी परबाबा वादीगण के वाहिद हिस्से व कब्जे में आ गई। जिस पर वह स्वयं काबिज रहकर काश्त करने लग गया। चिरंजी के एक मात्र लडका किशोरीलाल था जिसकी मृत्यु चिरंजी के जीवनकाल में हो गई। चिरंजी की मृत्यु के उपरांत किशोरीलाल मृतक का एक मात्र वारिस देवीराम उक्त आराजी पर वाहैसियत मालिक खुदकाश्तकार काबिज होकर काश्त करने लग गया व सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 553 पर काबिज काश्त था परन्तु सम्बत 2012 मे जमाबन्दी में वादीगण के पिता देवीराम के नाम आराजी मुत0 के निष्फ हिस्से पर कब्जा काश्त वाहैसियत मालिक दर्ज रिकार्ड किया गया और शेष

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

निष्फ हिस्से में से 1/4 पर सुन्दर वगै0 व 1/4 पर रामजीलाल वगै0 का इन्द्राज गलत किया गया। उक्त गत खसरा नम्बर 553 से जो नये नम्बर 451–452 के तीन तरह अन्य काश्तकारों की आराजी है व चौथी तरफ गैर मुमकिन नाला है। आराजी मुत0 कभी भी चारागाह अथवा सिवायचक नहीं काम में आ सकती है। क्योंकि उक्त खसरा नम्बरान में पशुओं के आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है,परन्तु उक्त नवीन खसरा नम्बर 452 को चारागाह एवं 452 को विना किसी मौका व कब्जा विना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के भू–प्रबंध विभाग द्वारा कर दिया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(23) सपठित धारा 5(25) एवं धारा 10 व 13 के अन्तर्गत वादीगण आराजी मुत0 के कानूनन खातेदार हो चुके है। परन्तु वादीगण की जानकारी के बिना राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज किया जा रहा है। पूर्व में प्रति0 सख्या 02 द्वारा आराजी के सम्बन्ध मे वादीगण को धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस दिया था जो वादीगण का अधिकार व कब्जा मानते हुए ड्रॉप कर दिया। अतः निवेदन है कि दिनांक 14.09.2004 को प्रति. द्वारा धमकी देना अभिकथन करते हुए वादीगण ने स्वयं को विवादित आराजी खसरा नम्बर 451 व 452 वाके ग्राम पूँछरी पर खातेदार घोषित कर इन नम्बरान पर हो रहे चारागाह व सिवायचक मकबूजा मालिकान इन्द्राजाज को वेअसर घोषित करने एवं दुरूस्त करने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करने की आज्ञा फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 व 02ने स्वयं उपस्थित आकर अपना लिखित जबाव दावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि विवादित आराजी चारागाह है इसलिए राज0काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खातेदारी नहीं दी जा सकती और दावा खारिज करने की प्रार्थना की गई।

दावा व जबाव की प्लीडिंग के आधार पर दावे में निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर स्वयं खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है?
3. आया वादग्रस्त भूमि चारागाह है जिस पर राज0काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते?
4. दादरसी?

उक्त तनकीयात में से तनकी संख्या 01,02,04 को सावित करने का भार वादीगण पर है तथा तनकी संख्या 03 को सावित करने का भार प्रति0 पर है। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में 04 गवाह व दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्बत 1982 नकल जमाबन्दी सम्बत 2012 खसरा गिरदावरी सम्बत 2033–35, 42–45 सम्बत 2049–55, 57–59 व सम्बत 2061 से 2063 पेश किये गये तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 29.06.2010,मिलान क्षेत्रफल तहसीलदार डीग का 91 एल.आर.एक्ट दिनांक 16.

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डी.ग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

5.2000 तहसीलदार की मौका रिपोर्ट नक्सा ट्रेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये है। प्रति0 की ओर से कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तनकी संख्या 01 व 03:—उक्त दोनों तनकी एक दूसरे से सम्बन्धित है। इसलिए इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी जमाबन्दी सम्बत 2012 में सुन्दर वगै0 1/4 देवीराम निष्फ व रामजीलाल 1/4 मकबूजा मालिकान के रूप में खसरा नम्बर 553 रकबा 06 वीघा 14 विस्वा पर खुदकाश्त के रूप में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्बत 2033 लगा0 2064 में उक्त आराजी पर गत खसारा नम्बर 553 व उससे वने नवीन 451—452 पर निरन्तर काश्त होना व उसमें चना,गेहूँ,सरसों,बाजरा आदि फसलें जो काश्त से उपज होती है। पत्रावली पर पटवारी की रिपोर्ट मॉजूद है जिससे यह अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बर 451—452 पूँछरी में पशुओं की आने जाने हेतु कोई रास्ता माजूद नहीं है तथा उक्त खसरा नम्बरान पर वादीगण का कब्जा व काश्त है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार डीग के 91 के आदेश में यह अंकित किया है कि गलती से वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 451 व 452 पर सिवायचक व चारागाह दर्ज कर दिया है। जिसको वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। पत्रावली पर उपलब्ध अति0 जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 29.06.2010 जो उन्होंने धारा 91 एल.आर.एक्ट की अपील में पारित किया है में न्यायालय अति0 कलक्टर महोदय ने यह विवेचन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 451—452 के गत खसरा नम्बर 553 रकबा 6 वीघा 6 विस्वा वाके ग्राम पूँछरी अपीलाण्ट के पूर्वजों के खोतदारी के कब्जे काश्त का रकबा रहा है। जिसे बन्दोवस्त विभाग द्वारा सिवायचक व चारागाह दर्ज कर दिया है तथा अपीलाण्ट एवं पूर्वजों के खातेदारी के कब्जे काश्त का रकबा रहा है। जिसे बन्दोवस्त विभाग द्वारा सिवायचक व चारागाह दर्ज कर दिया है तथा अपीलाण्ट एवं पूर्वजों का आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित मानते हुए उक्त खसरा नम्बरान की वादीगण के पक्ष में नियमन की सिफारिश की है तथा मौखिक साक्ष्य से भी वादीगण का सम्बत 2012 व उससे पूर्व से कब्जा होना प्रमाणित है व उनकी खुदकाश्त होना प्रमाणित है। धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताविक खुदकाश्त की आराजी है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादीगण स्वयं को विवादित आराजी खसरा नम्बर 451 व 452 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

प्रति0 का कथन की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती परन्तु स्वयं प्रति0 की यह रिपोर्ट उपलब्ध है कि उक्त खसरा नम्बर में पशुओं के आने जाने का कोई रास्ता मॉजूद नहीं है तथा स्वयं प्रति0 संख्या 02 ने अपने 91 के आदेश में यह माना है कि उक्त खसरा नम्बर पर बन्दोवस्त विभाग द्वारा चारागाह का गलत इन्द्राज कर दिया है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 452 को चारागाह की भूमि नहीं माना जा सकता और धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते इसके अलावा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डींग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रति0संख्या 02 द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि खसरा नम्बर 451 व 452 को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा चारागाह व सिवायचक घोषित किया गया हो। तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में व तनकी संख्या 03 प्रति0 के विरूद्व तय की जाती है और वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 451/0.28 व 452/0.55 वाके ग्राम पूँछरी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी प्रतीत है।

तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में व तनकी संख्या 03 प्रति0 के विरूद्व निर्णीत की गई है परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर 451 व 452 को जिला कलक्टर महोदय भरतपुर द्वारा आयुर्वेद हर्वल गार्डन के लिए आवंटित होना जमाबन्दी से स्पष्ट है। वादीगण का कथन रहा कि उक्त आवंटन माननीय सिविल न्यायाधीश डीग के स्टे के दौरान किया गया है जिसके आदेश की प्रति वकील वादीगण ने प्रस्तुत की गई। परन्तु वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान 451 व 452 सक्षम अधिकारी के आदेश से आवंटित है और राज्य सरकार के नाम दर्ज है इसलिए जब तक सक्षम न्यायालय से उक्त आवंटन निरस्त नहीं होता तब तक वादीगण को विवादित आराजी की खातेदारी प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>तनकी संख्याः–2,</u>वर्तमान में विवादित खसरा नम्बरान राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है और लोकहित के लिए आवंटित है इसलिए वादीगण प्रति0 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेख विवरण अनुसार हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टि0 एक्ट, को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित नहीं होने से **अस्वीकार** किया जाता है।यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त नम्बरान पर एलॉटमेंट निरस्त किया जाता है तो वादीगण पुनः खातेदारी प्राप्त करने की चाराजोही करने/वाद लाने के लिए नियमानुसार स्वतंत्र रहेंगे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner